RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
अक्टूबर
25
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

भारत टैक्सी पायलट परियोजना / Bharat Taxi pilot project

संदर्भ:

सरकार नवंबर 2025 में दिल्ली में **'भारत टैक्सी'** नामक नए राष्ट्रीय सहकारी राइड-हेलिंग प्लेटफ़ॉर्म का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। यह पहल ओला और ऊबर जैसी निजी कंपनियों को चुनौती देने के लिए बनाई गई है। 'भारत टैक्सी' मॉडल पूरी तरह ड्राइवर-स्वामित्व वाला होगा और इसमें किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं लिया जाएगा।

पायलट प्रोजेक्ट के विवरण:

- **प्रारंभिक चरण:** नवंबर 2025 में दिल्ली में 650 पंजीकृत ड्राइवरों और उनके वाहनों के साथ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी।
- **विस्तार योजना:** यदि पायलट सफल रहता है, तो दिसंबर 2025 तक यह सेवा मुंबई, पुणे, भोपाल, लखनऊ और जयपुर जैसे प्रमुख शहरों में शुरू की जाएगी।
- **प्रारंभिक सदस्य:** पहले चरण में लगभग 5,000 ड्राइवरों को जोड़ा जाएगा, जिनमें महिला ड्राइवर भी शामिल होंगी जिन्हें **"सारथी"** कहा जाएगा। महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण और बीमा सुविधाएँ दी जाएँगी।
- **दीर्घकालिक लक्ष्य:** एक वर्ष में 20 शहरों तक विस्तार और वर्ष 2030 तक 1,00,000 ड्राइवरों का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य है, जिसमें मेट्रो शहरों से लेकर जिला मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल होंगे।

'भारत टैक्सी' कैसे काम करेगी:

- **विकास और संचालन:** यह प्लेटफ़ॉर्म सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) द्वारा विकसित किया गया है तथा सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा संचालित होगा।
- **सहकारी मॉडल:** इसमें ड्राइवर ही इसके सह-मालिक और हितधारक होंगे, जिससे सामूहिक ज़िम्मेदारी और समुदाय की भावना को बढ़ावा मिलेगा।
- **आय संरचना:** ड्राइवरों को प्रति राइड कमीशन नहीं देना होगा; वे केवल एक छोटी सदस्यता शुल्क (Membership Fee) अदा करेंगे और प्रत्येक राइड की पूरी कमाई (100%) अपने पास रख सकेंगे।
- **मूल्य निर्धारण:** ग्राहकों के लिए पारदर्शी और सर्ज-फ्री (Surge-free) मूल्य प्रणाली लागू की जाएगी।
- **प्रौद्योगिकी:** यह सेवा एक मोबाइल ऐप के माध्यम से चलेगी जो Android और iOS दोनों पर उपलब्ध होगी, साथ ही इसमें बहुभाषी समर्थन (Multilingual Support) होगा। ऐप को DigiLocker और UMANG जैसे सरकारी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ा जाएगा ताकि सुरक्षित पहचान और दस्तावेज़ सत्यापन सुनिश्चित हो सके।

परियोजना के लक्ष्य (Goals of the Project):

1. **ड्राइवरों के कार्य स्थितियों में सुधार:** सहकारी मॉडल के माध्यम से ड्राइवरों को उनकी कमाई का उचित हिस्सा और निजी कंपनियों की तुलना में बेहतर कार्य परिस्थितियाँ प्रदान की जाएँगी।
2. **यात्रियों की सुरक्षा और अनुभव को बेहतर बनाना:** सरकारी निगरानी और सहकारी संचालन के जरिए यह पहल रद्द की जाने वाली सवारियों, सुरक्षा संबंधी शिकायतों और अचानक बढ़े किरायों जैसी समस्याओं को कम करने का प्रयास करेगी, ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिले।
3. **डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना:** *डिजिटल इंडिया* पहल के तहत यह प्लेटफ़ॉर्म ड्राइवरों और यात्रियों दोनों के लिए एक समावेशी और तकनीकी रूप से सक्षम सेवा तैयार करने का लक्ष्य रखता है।
4. **निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करना:** *भारत टैक्सी* को स्थानीय और **"नागरिक-प्रथम"** दृष्टिकोण के साथ ओला और उबर जैसी वैश्विक राइड-हेलिंग कंपनियों के मुकाबले एक भारतीय विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है।

परियोजना का महत्व:

1. **ड्राइवर सशक्तिकरण:** ड्राइवर सह-मालिक बनकर बिना कमीशन अपनी पूरी कमाई रख सकते हैं।
2. **यात्री लाभ:** स्थिर, पारदर्शी किराया और बिना रद्द की जाने वाली सवारी का भरोसा।
3. **प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा:** निजी कंपनियों को बेहतर सेवा और कार्यस्थिति देने के लिए प्रेरित करता है।
4. **डिजिटल समावेशन:** *डिजिटल इंडिया* के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
5. **सहकारी मॉडल का सशक्तीकरण:** पारंपरिक सहकारी सिद्धांतों को तकनीक के साथ आधुनिक रूप देता है।

दिल्ली रात्रि पाली कार्य नीति 2025 / Delhi Night Shift Work Policy 2025

संदर्भ:

दिल्ली सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात की पाली (night shift) में काम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते उनकी लिखित सहमति (written consent) अनिवार्य रूप से ली जाए।

सभी कर्मचारियों के लिए नियम:

1. **अधिकतम कार्य घंटे:** कर्मचारियों को प्रतिदिन 9 घंटे या प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
2. **आराम का समय (Rest Breaks):** लगातार 5 घंटे काम करने के बाद आराम का अंतराल (rest interval) देना अनिवार्य है।
3. **अनिवार्य ओवरटाइम वेतन:** यदि ओवरटाइम किया जाता है, तो कर्मचारियों को सामान्य वेतन की **दोगुनी दर** से भुगतान किया जाना चाहिए।
4. **जबरदस्ती रात की पाली नहीं:** शिफ्ट का आयोजन इस तरह किया जाना चाहिए कि किसी कर्मचारी को केवल रात की पाली में काम करने के लिए मजबूर न किया जाए।
5. **कानूनी लाभ (Statutory Benefits):** न्यूनतम वेतन, पीएफ (Provident Fund), बीमा और बोनस सहित सभी कानूनी लाभ जारी रखने होंगे।

महिलाओं के लिए विशेष नियम:

1. **लिखित सहमति अनिवार्य (Mandatory Written Consent):** किसी महिला कर्मचारी को रात की पाली में नियुक्त करने से पहले उसकी **लिखित सहमति** लेना अनिवार्य है।
2. **सुरक्षा और सुरक्षा (Safety & Security):** रात में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और परिवहन के लिए उपयुक्त प्रबंध करना अनिवार्य है।
3. **आंतरिक शिकायत समिति (ICC):** महिलाओं को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में **Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013** के तहत ICC का गठन करना अनिवार्य है।
4. **CCTV कैमरे:** CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य है और फुटेज कम से कम **एक महीने तक** सुरक्षित रखना होगा। आवश्यक होने पर अधिकारियों को उपलब्ध कराना होगा।
5. **प्रतिबंधित प्रतिष्ठान (Prohibited Establishments):** शराब की दुकानों पर महिलाओं के लिए रात की पाली की छूट लागू नहीं होगी।

अन्य लाभ और प्रावधान:

1. **प्रतिपूरक अवकाश:** राष्ट्रीय अवकाश या साप्ताहिक अवकाश के दिन काम करने पर कर्मचारियों को प्रतिपूरक अवकाश दिया जाएगा।
2. **कानूनी लाभ:** सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, भविष्य निधि (PF), बीमा और बोनस का अधिकार मिलेगा।
3. **कल्याण सुविधाएँ:** नियोक्ताओं को कार्यस्थल पर रेस्टरूम, वॉशरूम और मेडिकल सहायता जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी।
4. **रिकॉर्ड रखरखाव और रिपोर्टिंग:** नियोक्ताओं को रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं का पूरा रिकॉर्ड और रजिस्टर रखना होगा और आवश्यक होने पर श्रम विभाग को रिपोर्ट सौंपनी होगी।
5. **भेदभाव पर रोक:** महिलाओं को समान अवसर और समान वेतन मिलना सुनिश्चित किया जाएगा और उन्हें रात की पाली में काम करने के लिए बाध्य या दबाव में नहीं लाया जाएगा।

दिल्ली को इसका क्या फायदा होगा?

- यह फैसला दिल्ली को **24x7 बिजनेस हब** के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा।
- महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी बढ़ेगी और नए रोजगार अवसर पैदा होंगे।
- राजधानी को Ease of Doing Business में भी लाभ मिलेगा।
- यह निर्णय दिल्ली को सुरक्षित, प्रगतिशील और समावेशी कार्य वातावरण देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

किस-किस राज्य में पहले से है यह सुविधा?

- यह सुविधा पहले से ही हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में लागू है।
- दिल्ली भी इस सूची में शामिल हो गई है, जिससे यहाँ की कार्यसंस्कृति में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।

कफाला सिस्टम / Kafala System

संदर्भ:

सऊदी अरब ने करीब 70 साल पुराना **कफाला सिस्टम** आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। इसके तहत अब देश में काम करने वाले विदेशी मजदूरों के पासपोर्ट नियोक्ता नहीं जब्त कर सकेंगे।

मुख्य बिन्दु:

- सरकार ने मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए नियम भी लागू किए हैं। हालांकि इस बदलाव की घोषणा जून 2025 में की गई थी, लेकिन अब यह पूरी तरह से अधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है।
- कफाला सिस्टम के समाप्त होने से विदेशी वर्कर्स को स्वतंत्रता मिली है, जिसमें भारत के 25 लाख मजदूर भी शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम विदेशी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और बेहतर कार्यस्थल वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

मुख्य सुधार और मजदूरों के नए अधिकार:

1. **नौकरी बदलने की स्वतंत्रता:** अब विदेशी मजदूर अपने प्रारंभिक अनुबंध की समाप्ति के बाद पूर्व नियोक्ता की अनुमति के बिना नई नौकरी चुन सकते हैं।
2. **यात्रा और निकासी की स्वतंत्रता:** मजदूर अब देश छोड़ने के लिए एक्सिट वीज़ा या स्पॉन्सर की सहमति के लिए बाध्य नहीं होंगे।
3. **कानूनी सुरक्षा में वृद्धि:** नए ढांचे में मजदूरों को श्रम न्यायालय और शिकायत प्रणालियों तक बेहतर पहुँच मिलेगी, जिससे दुरुपयोग की शिकायत आसानी से दर्ज की जा सकेगी।
4. **कॉन्ट्रैक्ट की पारदर्शिता:** सिस्टम अब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (जैसे Qiwa और Absher) के माध्यम से मॉनिटर किए जाने वाले पूर्ण अनुबंध आधारित फ्रेमवर्क पर आधारित होगा, ताकि नियोक्ताओं के दुरुपयोग को रोका जा सके।
5. **घरेलू कर्मचारियों का समावेश:** घरेलू मजदूरों के लिए भी यह सुधार लागू होगा और उनके कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर की निगरानी अब Musaned e-service प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से होगी।

लाभ:

- लगभग 1.3 करोड़ (13 मिलियन) विदेशी मजदूर इससे सीधे लाभान्वित होंगे।
- इनमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और फिलिपींस के बड़े संख्या में मजदूर शामिल हैं।
- यह कदम सऊदी अरब के श्रम कानूनों को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कफाला सिस्टम क्या है?

- **परिभाषा:** कफाला सिस्टम मूल रूप से विदेशी श्रमिकों के प्रवास को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था।
- **स्पॉन्सर:** इसके तहत विदेशी को सऊदी अरब में काम करने के लिए **"कफील" (सपॉन्सर)** की आवश्यकता होती थी, जो कोई व्यक्ति या कंपनी हो सकता था।
- **स्पॉन्सर का नियंत्रण:** स्पॉन्सर के पास मजदूर की नौकरी, निवास स्थान, यात्रा दस्तावेज़, और यहां तक कि देश छोड़ने के फैसले पर भी पूरा नियंत्रण होता था।
    - कई मामलों में स्पॉन्सर **मजदूर का पासपोर्ट जब्त** कर लेते थे।
- **समस्या:** विशेषज्ञों के अनुसार, यह प्रणाली कई बार आधुनिक दिन की दासता (modern-day slavery) जैसी स्थितियां पैदा करती थी, जिससे मजदूरों की स्वतंत्रता और अधिकार सीमित रहते थे।

कफ़ाला प्रणाली की प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं:

- **शोषण:** कफ़ील (स्पॉन्सर) के पास वीज़ा और नौकरी पर पूरा नियंत्रण होता है, जिससे कामगारों का शोषण आसान हो जाता है।
- **गतिशीलता पर प्रतिबंध:** कामगार कफ़ील की अनुमति के बिना नौकरी नहीं बदल सकते या देश नहीं छोड़ सकते, जिससे वे शोषक परिस्थितियों में फँसे रहते हैं।
- **पासपोर्ट ज़ब्ती:** कई मामलों में कफ़ील कामगारों के पासपोर्ट ज़ब्त कर लेते हैं, जिससे उनकी आवाजाही पर पूर्ण रोक लग जाती है।
- **अमानवीय व्यवहार:** वेतन का भुगतान न करना, लंबे समय तक काम कराना और हिंसा जैसी घटनाएं आम हैं, जिसके कारण कामगारों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।
- **कोई कानूनी सहारा नहीं:** कामगारों के पास दुर्व्यवहार की शिकायत करने या कानूनी मदद लेने का सीमित विकल्प होता है, जिससे कफ़ील के पास असीमित शक्ति आ जाती है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश / Chief Justice of India

संदर्भ:

केंद्रीय सरकार ने अगले भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत वर्तमान CJI B. R. **गवई** से उनके उत्तराधिकारी की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है। CJI **गवई** 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, और वरिष्ठतम न्यायाधीश

- सूर्य कांत अगली पंक्ति में हैं, जो 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होंगे।

मुख्य प्रावधान – भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से संबंधित-

1. **नियुक्ति (Appointment):**
   - सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के तहत की जाती है।
   - परंपरा के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त किया जाता है।
   - वरिष्ठता का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट में सेवा की लंबाई के आधार पर होता है।
2. **योग्यता:** CJI या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए:
   - वह **भारत का नागरिक** होना चाहिए।
   - वह **किसी उच्च न्यायालय (High Court) का न्यायाधीश** पांच वर्ष तक रहा हो; या
   - वह किसी उच्च न्यायालय में **अधिवक्ता (Advocate)** के रूप में दस वर्ष से अधिक कार्यरत रहा हो; या
   - राष्ट्रपति की राय में वह **प्रतिष्ठित न्यायविद (Distinguished Jurist)** हो।
3. **CJI की भूमिका (Role of CJI):**
   - CJI को "Master of the Roster" कहा जाता है, यानी वह विशेष मामलों को विशेष बेंचों में आवंटित करने और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित करने का अधिकार रखते हैं।
   - CJI, SC के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों के सहयोग से, राष्ट्रपति को SC और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सलाह देते हैं।
   - CJI, अनुच्छेद 127 के तहत अस्थायी (Ad-hoc) सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं।
   - राष्ट्रपति की सहमति से CJI, सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग को दिल्ली से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं।

4. हटाना (Removal):

- CJI को केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
- इसके लिए **संसद का प्रस्ताव** आवश्यक है, जिसमें दोनों सदनों में **विशेष बहुमत** के साथ समर्थन होना चाहिए—सदस्यों का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वालों में कम से कम **दो-तिहाई (2/3)**।

अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति:

1. **सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश:**
   - राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
   - नियुक्ति कोलेजियम (Collegium) की सिफारिशों के आधार पर होती है, जिसमें CJI और SC के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
2. **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश:**
   - राष्ट्रपति द्वारा **अनुच्छेद 217** के तहत नियुक्त किए जाते हैं।
   - नियुक्ति **कोलेजियम की सिफारिशों** (CJI और SC के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश) पर आधारित होती है।
3. **कोलेजियम प्रणाली:** यह प्रणाली तीन न्यायाधीश मामलों (Three Judges Cases: 1981, 1993, 1998) के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई।

कोलेजियम प्रणाली से संबंधित चिंताएँ:

1. **पारदर्शिता की कमी:**
   - कोलेजियम की विचार-विमर्श गोपनीय होती है।
   - न्यायाधीशों की नियुक्तियों के कारणों को आमतौर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता।
2. **जवाबदेही का अभाव:** कोलेजियम के निर्णयों की समीक्षा या जांच का कोई औपचारिक तंत्र नहीं है।
3. **कार्यकारी भूमिका की सीमितता:** शक्ति पूर्णतः न्यायपालिका के पास केंद्रीकृत हो जाती है, जिससे कार्यपालिका की भूमिका सीमित रहती है।

ऋण पर सेविला फोरम का शुभारंभ / Sevilla Forum on Debt launched

संदर्भ:

सेविला फोरम ऑन डेब्ट की शुरुआत 16वें संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD16) के दौरान जिनेवा में की गई। यह स्पेन की अगुवाई वाली पहल है, जिसे UNCTAD और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों विभाग (DESA) का समर्थन प्राप्त है।

- इस फोरम का **उद्देश्य** वैश्विक सार्वभौमिक ऋण संकट से निपटना है, जो 2024 में $102 ट्रिलियन के सार्वजनिक ऋण के स्तर तक पहुँच गया था।

फोरम के मुख्य पहलू (Key Aspects of the Forum)

1. **उद्देश्य:** उधारकर्ताओं, ऋणदाताओं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और नागरिक समाज के बीच संवाद का एक मंच तैयार करना ताकि ऋण संबंधी मुद्दों पर अधिक **न्यायसंगत, पारदर्शी और टिकाऊ** दृष्टिकोण विकसित किए जा सकें।
2. **प्रसंग:** यह फोरम चौथे अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण सम्मेलन (FfD4) और सेविला प्लेटफ़ॉर्म फॉर एक्शन का परिणाम है।
3. **लक्ष्य (Objectives):**
   - वैश्विक ऋण ढाँचे में सुधार करना।
   - जिम्मेदार उधार और ऋण देने को बढ़ावा देना।
   - सुनिश्चित करना कि ऋण अदायगी (debt repayment) सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्रगति में बाधा न बने।
4. **पृष्ठभूमि (Background):** फोरम की शुरुआत ऐसे समय में हुई है जब विकासशील देश ऋण संकट से जूझ रहे हैं और उन्हें स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं की तुलना में ऋण चुकाने पर अधिक खर्च करना पड़ रहा है।
5. **समर्थन (Support):** संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस पहल का समर्थन किया है और कहा है कि यह वित्तीय न्याय (financial justice) सुनिश्चित करने तथा विकासशील देशों को वैश्विक ऋण सुधार में अधिक आवाज देने की दिशा में एक अहम कदम है।

ईरान संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी समूह में शामिल / Iran to join UN's anti-terror group

संदर्भ:

ईरान ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (CFT) में शामिल होने के लिए कानून को अनुमोदित कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य ईरान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के मानकों का पालन करने में मदद करना, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को आसान बनाना, और देश को वैश्विक बैंकिंग सिस्टम से पुन: जोड़ना है।

मुख्य विवरण (Key Details):

1. **राष्ट्रपति की मंजूरी:** ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। यह कदम उनके चुनावी वादों का हिस्सा है, जिनमें पश्चिमी देशों से संबंध सुधारना और प्रतिबंधों से राहत प्राप्त करना शामिल था।
2. **वैश्विक प्रणाली में पुन: शामिल होने के प्रयास:** यह अनुमोदन **FATF** (Financial Action Task Force) की शर्तों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्तपोषण की निगरानी करता है।
3. **FATF ब्लैकलिस्ट:** वर्ष 2020 से FATF ब्लैकलिस्ट में शामिल होने के बाद से ईरान का वित्तीय क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली से लगभग अलग-थलग रहा है।
4. **आंतरिक बहस:** इस फैसले का कट्टरपंथियों ने विरोध किया, उनका कहना था कि इस कन्वेंशन से जुड़ने से ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए वित्तीय समर्थन से संबंधित संवेदनशील जानकारी उजागर हो सकती है।
5. **FATF बैठक:** यह निर्णय छह वर्षों में पहली बार FATF बैठक में ईरान के प्रतिनिधि की उपस्थिति के बाद लिया गया है।
6. **अन्य समझौते:** यह कदम UN Palermo Convention (अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ समझौता) में ईरान की सशर्त सदस्यता के बाद उठाया गया है।
7. **पुन: लगाए गए प्रतिबंध:** यह विकास उस समय हुआ जब संयुक्त राष्ट्र (UN) ने परमाणु कार्यक्रम उल्लंघनों के कारण ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगाए थे।

रक्षा खरीद मैनुअल / DPM

संदर्भ:

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में Defence Procurement Manual (DPM) 2025 का विमोचन किया। यह नया मैनुअल 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा और सशस्त्र बलों के राजस्व खरीद कार्यों को सरल बनाने तथा स्वदेशी उद्योग की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

- DPM 2025, 2009 के संस्करण की जगह लेगा और तीनों सेवाओं तथा अन्य रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठानों के लिए लगभग ₹1 लाख करोड़ वार्षिक राजस्व खरीद को नियंत्रित करेगा।

संशोधित रक्षा खरीद प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएँ:

1. **व्यवसाय में आसानी:** निर्णय प्रक्रिया को तेज़ करने और देरी कम करने के लिए प्रक्रियाएँ सरल की गई हैं।
2. **दंड में रियायत:** डिलीवरी में देरी पर अधिकतम जुर्माना 10% तय किया गया है, जबकि स्वदेशी परियोजनाओं पर अब केवल 0.1% प्रति सप्ताह होगा (पहले 0.5%)।
3. **दीर्घकालिक ऑर्डर:** स्वदेशी रूप से विकसित वस्तुओं को अब 5 वर्ष या उससे अधिक की गारंटीशुदा ऑर्डर मिल सकेंगे।
4. **NOC की आवश्यकता समाप्त:** ऑर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड से NOC लेने की शर्त हटा दी गई है।
5. **खरीद सीमा:** ₹50 लाख तक की खरीद के लिए लिमिटेड टेंडर की अनुमति दी गई है।
6. **वृद्धि प्रावधान:** जहाज मरम्मत और विमानन ओवरहाल कार्यों के लिए 15% तक की अग्रिम वृद्धि अनुमति।
7. **संरचित प्रारूप:** दो वॉल्यूम – वॉल्यूम I (मुख्य प्रावधान) और वॉल्यूम II (फॉर्म व आदेश)।
8. **नए अध्याय जोड़े गए:**
    - नवाचार व स्वदेशीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता
    - सूचना व संचार प्रौद्योगिकी खरीद
    - परामर्श व गैर-परामर्श सेवाएँ

दिवाली 2025 की बिक्री 6.05 लाख करोड़ रुपये / Diwali 2025 sales hit Rs 6.05 lakh crore

संदर्भ:

भारत में इस साल दिवाली के दौरान **रिकॉर्ड तोड़ बिक्री** देखी गई, जिसमें कुल उत्सवीय व्यापार **₹6.05 लाख करोड़** तक पहुंच गया। इसमें से **₹5.40 लाख करोड़** का कारोबार वस्तुओं का और **₹65,000 करोड़** सेवाओं का रहा, यह जानकारी ऑल इंडिया ट्रेडर्स कॉन्फेडरेशन (CAIT) ने दी है।

CAIT रिपोर्ट की मुख्य बातें:

1. **सामान बनाम सेवाएँ:** कुल बिक्री में ₹5.40 लाख करोड़ सामान से और ₹65,000 करोड़ सेवाओं से हुई।
2. **"Vocal for Local" को बढ़ावा:** भारतीय उत्पादों की बढ़ती मांग से रिकॉर्ड बिक्री हुई और चीनी वस्तुओं की मांग में भारी गिरावट आई।
3. **पारंपरिक व्यापार का प्रभुत्व:** कुल व्यापार का 85% हिस्सा पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं के पास रहा, जिससे छोटे व्यापारियों की मजबूती दिखी।
4. **GST सुधार का असर:** 72% व्यापारियों ने बताया कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और गृह सजावट पर कम GST दरों से बिक्री बढ़ी।
5. **मुख्य खर्च क्षेत्र:**
    - किराना व FMCG: 12%
    - सोना व आभूषण: 10%
    - इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल्स: 8%
    - उपभोक्ता वस्त्र व टिकाऊ सामान: 7% प्रत्येक
6. **गैर-मेट्रो शहरों में वृद्धि:** ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों का योगदान 28% रहा, जिससे व्यापक आर्थिक भागीदारी दिखी।
7. **रोज़गार सृजन:** त्योहारी बिक्री से लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और रिटेल क्षेत्रों में लगभग 50 लाख अस्थायी नौकरियाँ बनीं।

GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
इतिहास
अर्थव्यवस्था
भूगोल
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
1500x4
₹6000/-
₹4500/-
रोज़ाना लाइव क्लासेस
साप्ताहिक टेस्ट
क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
लाइव डाउट सेशन
रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न
COURSE VALIDITY
1 YEAR

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
FOUNDATION COURSE
OF MUTUAL FUND
INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH
COMBO OFFERS
BBK
Baaten Bazar ki
COURSE FEE
~~₹4000/-~~
OFFER PRICE
₹2800/-
Course Validity
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुवात
Baaten Bazar Ki

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..
Baaten Bazar Ki

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE

BBK Baaten Bazaar ki

EMI AVAILABLE

+ (FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)

- Long-Term Investing Foundations
- Principles of Value Investing and Stock
- Portfolio Construction Mastery
- Sectoral Investing
- Stock Picking Framework
- Active Portfolio Management Techniques
- Mega Cap vs Mid Cap Strategy

SPECIAL BONUS

COURSE VALIDITY
1 YEAR